कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19/2021 460 दिनांकः 24 मई 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः 548/पॉच–5–2020, दिनांकः14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (सप्तम् संसोधन) दिनांकः 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांकः 30 जून 2021 तक या जब तक अग्रेत्तर आदेश नही दिये जाते है, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उ0प्र0 लखनऊ के शासनादेश संख्याः 1055/पॉच–2021, दिनांकः 21 मई 2021 के द्वारा कोविड–19 की तृतीय लहर के दृष्टिगत 04 ब्लाक स्तरीय सामु0स्वा0केन्द्रों को कोविड चिकित्सालय के रूप में सूचित करते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गय है।

उक्त के कम में निम्न चिकित्सालयों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी के परामर्श से कोविड–19 एल–1 प्लस कोविड चिकित्सालय चिहिन्त करते हुए, कोविड रोगियों के उपचार हेतु तत्काल कियाशील करने के आदेश दिये जाते है।

क0सं0	चिन्हित कोविड एल–1 प्लस चिकित्सालय का नाम	कोविड–19 मरीजों हेतु बेड क्षमता	नोडल/प्रभारी अधिकारी का नाम
1	100 बेड हास्पिटल सिरौलीगौसपुर, बाराबंकी (मो0– 9450561290)	40	डा0 आर0बी0राम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
2	सामु0स्वा0केन्द्र बड़ागॉव, बाराबंकी (मो0– 7275490607)	30	डा0संजीव कुमार, अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र
3	सामु0स्वा0केन्द्र फतेहपुर बाराबंकी (मो0– 9450278671)	30	डा0 अजय कुमार वर्मा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र
4	सामु0स्वा0केन्द्र सिद्वौर, बाराबंकी (मो0– 9936633783)	35	डा0 हरप्रीत सिंह अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र

उपरोक्त चिकित्सालयों को मानव संसाधन एवं अन्य समस्त सुविधाओं सहित तैयार किया जाये एवं आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए परिसर के अन्य भाग को भी तैयार रखा जाये। चिहिन्त एल–1 प्लस कोविड चिकित्सालय के नोडल अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी के निर्देशानुसार कोविड–19 रोगियों के उपचार हेतु करने हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था प्राप्त निर्देशो एवं गाईड लाईन के अनुसार सुनिश्चित करेगे।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सकमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्याः कोविड–19/2021 7817

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित–:

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0 शासन लखनऊ
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0लखनऊ।
4. आयुक्त,अयोध्या मण्डल अयोध्या।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 अयोध्या मण्डल अध्योध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–:

6. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार कोविड चिकित्सालय संचालित करने हेतु मानव संसाधन की ड्यिूटी लगाना सुनिश्चित करे।
9. अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी।
10. उप जिला अधिकारी, सिरौलीगौसपुर,फतेहपुर, नवाबगंज बाराबंकी।
11. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, "100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय सिरौलीगौसपुर बाराबंकी
12. अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र बड़ागॉव/सिरौलीगौसपुर/सिद्वौर/फतेहपुर बाराबंकी
13. समस्त अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र बाराबंकी।
14. जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।

जिलाधिकारी
बाराबंकी